रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(7)

...म-संख्या –302

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

(विधायी अनुभाग–1)

संख्या 1840/सात-वि-1-1(क)–27-2003

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधि कहा गया है धारा 2 में खण्ड (क-3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(क-3क) 'विधिक प्रतिनिधि' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, सेवान्त या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार निहित हो।"

धारा-4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा संबंधी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "आदेश" का तात्पर्य राज्य सरकार या धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कम्पनी के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है :

परन्तु यह कि किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुये, किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में कोई निर्देश नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि, और जहां दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हों, सभी संयुक्त रूप से, ऐसे मृत लोक सेवक को देय वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकेंगे।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976), राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष अनुज्ञा अपील में राज्य सरकार से यह अपेक्षा की कि वह शब्द "आदेश" को स्पष्ट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा आदेश पारित करने में "लोप" और "निष्क्रियता" उसके अर्थ में सम्मिलित किया जाए। राज्य विधि आयोग ने मृत व्यक्ति को अनुज्ञेय आर्थिक लाभों के सम्बन्ध में अधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से दावा निर्दिष्ट करने के लिये किसी मृत लोक सेवक के विधिक प्रतिनिधियों को अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की थी। राज्य की बार एसोसियेशन ने ऐसे अधिकार के लिये व्यवस्था किये जाने की मांग भी की है। अतएव निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है :—

(क) मृत लोक सेवक को देय वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों के लिये अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट करने के लिये किसी मृत लोक सेवक के विधिक प्रतिनिधियों को अधिकार देना;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट "आदेश" के अर्थ में "लोप" और "निष्क्रियता" सम्मिलित करना।

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० वी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1840(2)-VII–V–1—1 (KA)–27-2003

Dated Lucknow, December 17, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003 :—

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL) (AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. ACT NO. 12 OF 2003)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2003. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*a*-3) the following clause shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 2 of U.P. Act no. 17 of 1976

"(*a*-3A) "Legal representative" means a person, who in law represents the estate of the deceased person and includes a person in whom the right to receive pensionary, retirement, terminal or other benefits vests;"

3. In section 4 of the principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 4

"(1) Subject to the other provisions of this Act, a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance.

Explanation : For the purpose of this sub-section "order" means an order or omission or in-action of the State Government or a local authority or any other Corporation or company referred to in clause (*b*) of section 2 or of an officer, committee or other body or agency of the State Government or such local authority or Corporation or company:

Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant:

Provided further that in the case of the death of a public servant, his legal representative, and where there are two or more such representatives, all of them jointly, may make a reference to the Tribunal for payment of salary, allowances, gratuity, provident fund, pension and other pecuniory benefits relating to service due to such public servant."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (U.P. Act no. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of Tribunal to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State. Section 4 of the said Act provides that a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal may make reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance. The Hon'ble Supreme Court in a special leave appeal required the State Government to clarify the word "order" so as to include "omission" and "inaction"in passing order by the State Government or a local authority or a corporation referred to in clause (b) of section 2 of the said Act in the meaning thereof. The State Law Commission had recommended to amend the said Act to provide for giving right to the legal representatives of a deceased public servant to make a reference of claim to the Tribunal independently with respect to the pecuniary benefits admissible to the deceased. The Bar Association of the State has also demanded for making provision for such right. It has, therefore been decided to amend the said Act to provide for—

(a) giving right to the legal representatives of a deceased public servant to make a reference to the Tribunal for payment of salary, allowances, gratuity, provident fund, pension and other pecuniary benefits relating to service due to the deceased public servant;

(b) inclusion of "omission" and 'inaction' in the meaning of "order" referred to in section 4 of the said Act.

2. The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2003 is introduced accordingly.

By order,
R.B. RAO,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 749 राजपत्र (हि०)—(1796)—2003—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 205 सा० विधायी—(1797)—2003—850 (कम्प्यूटर/आफसेट)।